प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी नारायणखेड़ा व भू.अ. निरिक्षक नाथडियास तहसील रायपुर

महोदयजी,

प्रार्थी श्यामलाल पुत्र टीला भील नि: तेज्याखेड़ी के ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता स. 46, 47, 48 मे सा. नारायणखेड़ा दर्ज है जबकि उक्त खातेदार ग्राम-तेज्याखेड़ी का निवासी है आधार-कॉर्ड के आधार पर ग्राम-तेज्याखेड़ी के अ[illegible] जमा. खा. स. 46, 47, 48 में सा. नारायणखेड़ा के बजाय सा. देह दर्ज किया जा[illegible] (दुरूस्त) किया उचित है।

इन्दिरा
पटवारी हल्का नारायणखेड़ा
तह० रायपुर (भीलवाड़ा)

14/10/21
[illegible]

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता सं. 46, 47, 48 में श्यामलाल पुत्र टीला भील के साकिन नारायण[illegible] के बजाय सा. देह दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
क्रमांक / प्र० गा० संग/2021/30/21 (2021/224) दि. 14.10.2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, जांच भू अभि. निरीक्षक व तहसीलदार राय[illegible] [illegible] तेज्याखेड़ी के खा. स. 4[illegible] व सलग्न दस्तावेज के [illegible] [illegible] पुत्र टीला भील सा.-नारायण[illegible] 47 व 48 मे सह खा[illegible] [illegible] है, शुद्धि किया जाकर [illegible] के बजाय श्यामलाल पु[illegible] [illegible] किया जावे। -नुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)
14.10.2021
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

श्यामलाल पिता टीला भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर — विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 — मु0नं0 30 सन् 2021 (2021/224)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
दिनांक– 14-10-2021	प्रार्थी श्यामलाल पिता टीला भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 में शामलाती खाता संख्या 46, 47, 48 में क्रमशः किता 10 रकबा 1.75 है0, किता 8 रकबा 2.16 है0, किता 2 रकबा 0.32 है0 भूमि सहखातेदारी से प्रार्थी श्यामलाल पिता टीला भील सा. नारायणखेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी श्यामलाल पिता टीला भील सा. देह के बजाय श्यामलाल पिता टीला भील सा. नारायणखेड़ा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक ग्राम का नाम श्यामलाल पिता टीला भील सा. तेज्याखेड़ी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 46, 47, 48 में खातेदार श्यामलाल पिता टीला भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय श्यामलाल पिता टीला भील सा. देह दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार श्यामलाल पिता टीला भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय श्यामलाल पिता टीला भील सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:11:19 IST Reason: SelfAttested 14.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	